

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 198/2019

1. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पीरूसिंह सर्किल, झुंझुनू।

— प्रार्थी

बनाम
2. मैसर्स लक्षिता ट्रेडिंग कम्पनी जरिये मालिक श्री सुरेश कुमार भट्ट पुत्र श्री रघुवीर सिंह भट्ट, वार्ड सं0 38, जोशियों का गट्टा, भट्टों की गली, झुंझुनू।

— ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्शट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल असैट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (अब आगे से एक्ट से सम्बोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के संबंध में प्रस्तुत।

उपस्थित:-

1 एडवोकेट श्री रविन्द्र सिंह शेखावत (भारतीय स्टेट बैंक) -..... प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 13.08.2020

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने ऋणी मैसर्स लक्षिता ट्रेडिंग कम्पनी जरिये मालिक श्री सुरेश कुमार भट्ट पुत्र श्री रघुवीर सिंह भट्ट, वार्ड सं0 38, जोशियों का गट्टा, भट्टों की गली, झुंझुनू को दिनांक 26.09.2018 को रुपये 20,00,000.00 अक्षरे बीस लाख रुपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/जमानती ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 26.09.2018 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशी निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- श्री सुरेश कुमार भट्ट पुत्र श्री रघुवीर सिंह भट्ट व श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार भट्ट के नाम रिहायशी मकान वार्ड सं0 38, जोशियों का गट्टा, भट्टों की गली, पट्टा नं0 162/पी/206 दिनांक 22.02.2013 को जारी झुंझुनू स्थित भूमि व निर्मित भवन हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके परिसम्पत्ति पर प्रतिभूमि हित से सम्यक/दृष्टिबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 28.08.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 05.09.2017 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि.एडी/कोरियर/यू.पी.सी. से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रुपये 20,39,271.00 अक्षरे बीस लाख उनचालीस हजार दौ सौ इकहत्तर रुपये मात्र दिनांक 01.09.2019 तक बकाया + इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक को आज दिनांक 06.12.2019 को रुपये 20,39,271.00 अक्षरे बीस लाख उनचालीस

167

दो सौ इकहत्तर इसके आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त ऋणी/जमानती से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत चल व अचल मैसर्स लक्षिता ट्रेडिंग कम्पनी जरिये मालिक श्री सुरेश कुमार भट्ट पुत्र श्री रघुवीर सिंह भट्ट, वार्ड सं० 38, जोशियों का गट्टा, भट्टों की गली, झुंझुनू (राज०) स्थित भूमि व निर्मित भवन का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। अतः निवेदन है कि गिरवीकृत अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार संपत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति मैसर्स लक्षिता ट्रेडिंग कम्पनी जरिये मालिक श्री सुरेश कुमार भट्ट पुत्र श्री रघुवीर सिंह भट्ट, वार्ड सं० 38, जोशियों का गट्टा, भट्टों की गली, झुंझुनू (राज०) का पजेशन प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 13.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यु०डी० खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू